भारत में कौशल विकास में कृषि क्षेत्र की भागीदारी

अविनाश शंकर
पीएच.डी. (भूगोल)
गौरक्षणी, सासाराम

डा0 आनन्द कुमार
असिस्टैन्ट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
अर्थशास्त्र स्नातकोत्तर विभाग,
एस. पी. जैन महाविद्यालय, सासाराम

भारत में कौशल विकास कि दिशा में देर से ही सही लेकिन ठोस कदम उठाया गया है। सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को रोजगार हेतु देशभर में 1,500 बहु कौशल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने की घोषणा की। भारत सरकार के वित्तमंत्री ने बजट पेश करते हुए इसके लिए 1,700 करोड़ रु0 का प्रावधान किया है।

आज के तकनीकी युग में अब लगभग सभी कार्य मशीनों द्वारा संचालित किये जा रहे है। तब इसके संचालन के लिए कुशल लोगों की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ेगी। भारत जो एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ कि अधिकांश जनता कृषि एवं उसके सम्बद्ध कार्यों पर पूरी तरह निर्भर है। कृषि कार्य एक ऐसा क्षेत्र है, जो आज की दौर में पिछड़ता चला जा रहा है। ऐसो परिस्थिति में कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए कौशल विकास एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता है। प्रस्तुत शोध–पत्र में कौशल विकास योजना में कृषि क्षेत्र को भागीदार बनाकर हम कृषि को रोजगारोउन्मुख तथा आजीविका अर्जित करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में देख रहे हैं।

महत्व एवं उद्देश्य :

भारत में कोई भी विकास योजनाएँ कृषि को केन्द्र में रखे बिना सफल नहीं हो सकता है। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ कुशलता की अधिक आवश्यकता महसूस होती है। कृषि क्षेत्र में कौशल विकास के मुख्य उद्देश्यों में किसानों को कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़कर उन्हें कार्य कुशल बनाने तथा अपनी रोजगार तथा जीविका सुनिश्चित करने में प्रोत्साहित करना तथा सक्षम बनाना है। जिससे मौजूदा कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिल सके, तथा उनके जरूरतों के अनुरूप अधिक से अधिक कौशल प्रशिक्षण एवं प्रमाणन में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना शामिल है।

कौशल विकास कार्यक्रम एवं कृषि क्षेत्र :

कौशल विकास कार्यक्रम कि दिशा में जो सरकार द्वारा पहला कदम उठाया गया, वह था 31 जुलाई 2014 को स्वतंत्र रूप से ''कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय'' की स्थापना। भारत के पास राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन एस डी सी) जैसी संस्था पहले से हीं मौजूद था, जिसके तहत उद्योगों के लिए 37 कौशल परिषद एवं 235 प्रशिक्षण साझेदार तथा पूरे देश भर में 450 से अधिक जिलों में विस्तारित 3611 प्रशिक्षण केन्द्र शामिल हैं। वर्त्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आरम्भ की, जिसके अन्तर्गत देश के 24 लाख युवाओं को विभिन्न उद्योगों से संबंधित स्किल ट्रेनिंग की योजना थी। उस समय इस पर 1500 करोड़

रु0 खर्च करने की चर्चा की गई, जो वर्त्तमान बजट में बढ़ाकर 17,00 करोड़ रु0 खर्च करने का प्रावधान किया गया है।

भारत में कौशल विकास का कार्यक्रम का अनुभव हमें यह सिखाता है, कि यह मायने नहीं रखता है, कि इस कार्यक्रम में कितने पैसे निवेश किये जा रहे है बल्कि मायने यह रखता है, कि इस कार्यक्रम में कितने लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। देश में अभी भी सम्पूर्ण कार्य बल का आधे–से अधिक भाग जो लगभग 52: है, कृषि कार्य में संलग्न है। जनसंख्या के अनुपात में आधी आबादी का स्किल्ड होना भी इस लक्ष्य की सफलता के लिए खास मायने रखता है।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र में कौशल विकास के लिए निम्नलिखित उपायों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है :–

(1) कुशल श्रमिक : कृषि एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ सबसे अधिक अकुशल श्रमिक कार्य करते है। आज के तकनीक युग में भी हमारे गांव–देहात के किसानों–श्रमिकों को खेतों में वहीं पुराने ढ़ंग से कार्य करते हुए देखा जा सकता है। इन कृषक मजदूरों को भी सरकार की कौशल विकास योजना के अन्तर्गत जोड़ दिया जाए तो, ये कुशल श्रमिक अपनी कौशल उत्पादकता को फसल उत्पादकता में बदल सकते है।

(2) कृषि तकनीकी प्रशिक्षण : कृषि में दिनों–दिन तकनीक का प्रयोग बढ़ता हीं जा रहा है, अब हल–बैल के स्थान पर ट्रैक्टर एवं पपिंग सेट का प्रयोग किया जा रहा है। अब फसल बोआई से लेकर फसल कटाई तक हार्वेस्टर जैसे बड़े यंत्रों का प्रचलन हो रहा है, जिसके संचालन के लिए कुशल हाथों का होना जरूरी है। भारत में कृषि तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र का अभाव है। इस प्रकार के केन्द्र स्थापित कर इसे भी राष्ट्रीय कौशल विकास योजना से जोड़ दिया जाए, तो कृषि तकनीक प्रशिक्षण की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है।

(3) पूर्व कृषि ज्ञान : इसके अन्तर्गत वैसे अनुभवी किसानों को रखा जाए जिनका पूर्व कार्यानुभव, दक्षता तथा क्षमता के पहचान को कायम रखते हुए उनके पुनः कौशल क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। जिनसे उनके पूर्व ज्ञान तथा कौशल क्षमता का भरपूर उपयोग हो सके।

(4) कुशल प्रशिक्षक : कृषि कार्य में वैसे कुशल प्रशिक्षक की जरूरत है जो प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गाँवों, खेत–खलिहानों की ओर रूख करें। इससे किसानों को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान हो पायेगा। इसके लिए कुशल प्रशिक्षकों की बड़े स्तर पर आवश्यकता होगी। इन प्रशिक्षकों को तकनीकी प्रशिक्षण के लिए आई.आई.टी., पोल्टेक्नीक जैसी संस्थानों से विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, क्योंकि वैज्ञानिक युग में बदलते तकनीक ने मौजूदा प्रौद्योगिकी के हिसाब से प्रशिक्षक की आवश्यकता महसूस हो रही है।

(5) प्रत्यक्ष निधि हस्तान्तरण : इस दिशा में सरकार ने तेजी से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। सरकारी योजनाओं में आवंटित राशि का बंदरबाट रोकने के लिए कुशल प्रशिक्षकों का होना आवश्यक है। ताकि योग्य लाभार्थियों तक इस राशि को कुशलता पूर्वक पहुँचाया जा सके। जिनसे इन निधियों का हस्तांतरण पूरी तरह से पारदर्शी हो सके।

(6) कुशल व्यवसायिक प्रशिक्षण : कृषि कार्य पूरी तरह से व्यवसायिक कार्य है। किसान को भूमि जुताई से लेकर बुआई तथा फसल कटाई तक पूरा कार्य व्यवसायिक ढ़ंग से संचालित करना पड़ता है। फसल उपजाने के बाद उसके भण्डारण तथा बिक्री हेतु भी व्यवसायिक कुशलता की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ किसानों को उचित व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उसकी कार्य प्रणाली में कुशलता प्रदान की जा सकती है। ताकि किसान अपने उपज को उचित समय तथा उचित कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सके। इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत् कुशल व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था कर इससे किसानों को लाभान्वित किया जा सकता है।

(7) कुशल स्वास्थ्य परीक्षण : हम यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण को विशेष महत्व देते हुए कह सकते हैं, कि किसान जो कि अधिकांशतः गरीबी के कारण झाड़–फूंक में विश्वास करने वाले होते है, जिसके कारण वे असमय काल के गाल में समा जाते है। उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कौशलयुक्त चिकित्सा व्यवस्था का होना आवश्यक है। जिसमें स्मार्ट हेल्थ कार्ड जैसी सुविधा मुहैया करायी जाए। फसलों में रोग सम्बन्धी जाँच एवं उपचार के साथ–साथ पशु चिकित्सकों को कौशलयुक्त होना आवश्यक है, जिनसे इनकी जीवन को सुरक्षा प्रदान हो सके।

इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में कह सकते है, कि भारत में कौशल विकास योजना सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें कृषि क्षेत्र को भी भागीदार बनाकर हम देश के आधे–से अधिक जनसंख्या को कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित कर सकते है। एवं इस क्षेत्र से जुड़े हुए किसानों–मजदूरों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़कर उनकी कार्य कुशलता एवं क्षमता को बढ़ा सकते है।

संदर्भ–सूची

(1) 29 फरवरी 2016 : वित्तमंत्री का संसद में बजट भाषण

(2) हुसैन माजिद (2000) : 'कृषि भूगोल' रावत पब्लिकेशन जयपुर, पृ0–274

(3) क्रानिकल : दिसम्बर 2015, पृ0–121

(4) योजना : जनवरी 2011, पृ0–25

(5) राष्ट्रीय कौशल विकास नीति 2009